समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज माणिकपुर, प्रखंड कार्यालय तारापुर, मुंगेर एवं सेवानिवृत, पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय संग्रामपुर, के विरूद्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर के पत्रांक– 2015/दिनांक 11.12.2019 के द्वारा समर्पित आरोप पत्र, जिसमें अंकित आरोप (1) दिनांक 31.08.2016 को आवेदक मो0 नदीम अहमद, ग्राम+पोस्ट– लखनपुर को दिये गये सूचना, पंचायत सरकार भवन के लिए उपस्कर में से क्रम संख्या 13 से 21 तक यथा सोलर प्लेट, ट्यूबलर बैट्री इन्वर्टर, वायर, माउस, कम्प्युटर सिस्टम, कलर फोटो प्रिंटर, कीबोर्ड, फैक्स मशीन नवनिर्वाचित मुखिया जी के घर पर है, उल्लेख किया है। एक सरकारी सेवक की जिम्मेवारी के नाते सभी उपस्कर पंचायत सरकार भवन में नही रखना पूर्णरूपेण गैर जिम्मेदाराना एवं स्वच्छताचारिता को दर्शाता है। (2) माह नवम्बर 2016 में स्थानान्तरण होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत माणिकपुर के पंचायत सरकार भवन की सामग्रीयों का प्रभार वर्त्तमान पंचायत सचिव को नही सौंपा गया। प्रभार नहीं सौंपे जाने के कारण राज्य सूचना आयोग बिहार पटना के वाद संख्या A1483/2019 मो0 नदीम अहमद, प्रथम लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुंगेर में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका है। (3) उक्त से स्पष्ट है कि श्री रविन्द्र कुमार, लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत माणिकपुर ने नियम– सूचना के अधिकार 2005 का उल्लंघन किया। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम– 3(1) का उल्लंघन है, के अनुरूप आरोप पत्र गठित कर अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर के पत्रांक– 2153/अनु0,दिनांक– 17.12.2019 के माध्यम से प्रपत्र "क" प्राप्त कराया गया। प्राप्त प्रपत्र "क" को अनुमोदन के पश्चात विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 291/पं0, दिनांक–02.03.2020 द्वारा अपर समाहर्त्ता मुंगेर को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तारापुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

अपर समाहर्त्ता मुंगेर –सह– विभागीय संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 878/रा0, दिनांक–21.12.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन कर अभिलेख उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराई गई अभिलेख के समीक्षोउपरान्त पाया गया कि दिनांक 31.12.2020 को आरोपित कर्मी श्री रविन्द्र कुमार सेवानिवृत्त हो गये है।

श्री रविन्द्र कुमार, अरोपी कर्मी के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 645/पं0, दिनांक–11.03.2021 के द्वारा उनके विरूद्व चलाई जा रही विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(ख) से सम्परिवर्तित किया गया।

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर–सह–संचालन पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 878/रा0, दिनांक–21.12.2020 के द्वारा श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज माणिकपुर, प्रखंड कार्यालय तारापुर, मुंगेर एवं सेवानिवृत, पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय संग्रामपुर प्रखण्ड कार्यालय संग्रामपुर के विरूद्व पूर्ण कर अभिलेख उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–'क' में लगाये गए तीनों आरोप प्रमाणित पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के निष्कर्ष, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं आरोपी कर्मी के द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण का विवरण निम्नवत् है :–

आरोप संख्या एवं आरोप	आरोपी पंचायत सचिव का कारण पृच्छा	उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य	संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष
1	2	3	4
(1). श्री रविन्द्र कुमार, लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत सचिव ग्राम पचायत माणिकपुर ने दिनांक 31.08.2016 को आवेदक मो0 नदीम अहमद	चतुर्थ वित्त आयोग मद से वितीय वर्ष 13–14 एवं 14–15 में से मो0 6,00,000=00(छः लाख) रूपये की निकासी कर पंचायत कार्यालय के कार्य हेतु विभिन्न सामग्री की खरीद की गई। फर्निचर आदि पंचायत भवन में रखा गया। सुरक्षा की दृष्टिकोण से कीमती	प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– उपस्थापन पदाधिकारी, तारापुर के पत्रांक–1447/दिनांक– 08.12.2020 द्वारा मंतव्य निम्नवत् दिया गया है :– आरोपी के उपरोक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा चतुर्थ वित्त आयोग मद से वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 14–15 मे मो0–6,00,000/– (छः लाख) रूपये मात्र का निकासी कर	उपसमाहर्त्ता प्रभारी, जिला राजस्व शाखा, मुंगेर के पत्रांक 878/रा0,दिनांक 21.12.2020 के द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–विभागीय संचालन पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालीत कर प्राप्त कराये गये अभिलेख के अनुसार मंतव्य निम्नवत् है :– आरोपी के स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य

ग्राम + पोस्ट – लखनपुर को दिये गये सूचना, पंचायत सरकार भवन के लिए उपस्कर में से क्रम संख्या 13 से 21 तक यथा सोलर प्लेट, टयूबलर बैट्री इन्वर्टर, वायर, माउस, कमप्युटर सिस्टम, कलर फाटो प्रिंटर, कीबोर्ड, फैक्स मशीन, नवनिर्वाचित मुखिया जी के घर पर है, उल्लेख किया है। एक सरकारी सेवक की जिम्मेवारी के नाते सभी उपस्कर पचायत सरकार भवन में नही रखना पूर्णरूपेण गैर जिम्मेदाराना एवं स्वच्छताचारिता को दर्शाता है।	समानों को तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के मौखिक निदेशानुसार मुखिया जी के घर पर रख कर सभी समान तत्काल मुखिया के प्रतिनिधि–सह–उनके पुत्र बिराट चौधरी को रिसिभ करा दिया गया था, चूँकि उस समय पंचायत भवन का चाहर दिवारी उँचा नहीं था। मेरे द्वारा जिम्मेदारी के साथ सभी कीमती उपस्कर की सुरक्षा को ध्यान में रखना गैर जिम्मेदाराना एवं स्वच्छाचारिता को नहीं दर्शाता है।	पंचायत कार्यालय के कार्य हेतु विभिन्न सामाग्रीयों यथा अनुलग्नक– 02 क्रय की गई थी। क्रय की गई सामग्रियों में से स्पष्टीकरण में संलग्न सूची के अनुसार क्रमांक–01 से 10 तक की सामग्री यथा– सोलर प्लेट, टयूबलर बैट्री इन्वर्टर, वायर, माउस कम्प्यूटर, कलर फोटो प्रिंटर, की–बोर्ड, फैक्स मशीन उस समय पंचायत भवन की चहारदिवारी ऊँचा नहीं रहने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर के मौखिक निर्देशानुसार आरोपी द्वारा ग्राम पंचायत माणिकपुर के नवनिर्वाचित मुखिया के घर पर रख कर आरोपी द्वारा क्रमांक–01 से 10 तक की सूची के सामग्रीयों को नवनिर्वाचित मुखिया के प्रतिनिधि –सह– पुत्र श्री विराट चौधरी से हस्तगत कराया गया था, जिसकी सूची आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में संलग्न किया गया है। मो0 नदीम अहमद द्वारा लगाये गये आरोप "मुखिया द्वारा निजी आवास पर अनाधिकृत रूप से सरकारी सामान को रखने के संबंध में जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–211 / पं0, दिनांक–13. 03.2018 के आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के स्थलीय जाँच कर जिला पदाधिकारी को समर्पित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि के क्रम में उन्होंने अपने पत्रांक–1383 / दिनांक–20.08.2019 के द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में क्रमांक–01 से 21 में यह दर्शित है कि क्रम संख्या– 03,10,11 एवं 12 में अंकित उपस्कर को छोड़कर पंचायत भवन माणिकपुर में उपलब्ध एवं पंचायत भवन कार्यरत है। इस संदर्भ में आरोपी श्री रविन्द्र कुमार द्वारा दिनांक– उक्त सामग्री जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर के आदेश ज्ञापांक– 929 / पं0, दिनांक–22. 08.2019 के आलोक में पंचायत	से स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा चतुर्थ वित्त आयोग मद से वित्तीय वर्ष 13–14 एवं 14–15 में से मो0 6,00,000=00 (छः लाख) रूपये की निकासी कर पंचायत कार्यालय के कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्रियों में यथा– सोलर प्लेट, टयूबलर बैट्री इन्वर्टर, वायर, माउस कम्प्यूटर, कलर फोटो प्रिंटर, की–बोर्ड, फैक्स मशीन पंचायत भवन का चहारदिवारी ऊँचा नही रहने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर के मौखिक निर्देशानुसार आरोपी द्वारा ग्राम पंचायत माणिकपुर के नवनिर्वाचित मुखिया के घर पर रख कर उनके प्रतिनिधि–सह–पुत्र श्री विराट चौधरी से हस्तगत कराया गया था। हस्तगत करा कर प्राप्ति रसिद प्राप्त कर ली गयी। उक्त संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी का कोई लिखित आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपी के इस कृत को सरकारी सेवक की जिम्मेवारी के नाते सभी उपस्कर पंचायत सरकार भवन में नहीं रखना पूर्णरूपेण गैर जिम्मेदाराना एवं स्वच्छाचारिता को दर्शाता है।

		सचिव, श्री अनिल कुमार को दिनांक– 22.08.2019 को प्रभार दे दिया गया है। जैसा कि उन्होंने जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर को अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है एवं सूची भी संलग्न है। आधोहस्ताक्षरी द्वारा भी उक्त सामग्री को माणिकपुर पंचायत भवन में पाया गया है एवं यथास्थिति में है।	
(2) श्री रविन्द्र कुमार, लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत माणिकपुर द्वारा उपर्युक्त कंडिका–1 में वर्णित अनियमितता करते हुए माह नवम्बर 2016 में स्थानान्तरण होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत माणिकपुर के पंचायत सरकार भवन की सामग्रीयों का प्रभार वर्त्तमान पंचायत सचिव को नही सौपा गया। प्रभार नहीं सौपे जाने के कारण राज्य सूचना आयोग बिहार पटना के वाद संख्या A1483/2019 मो0 नदीम अहमद, प्रथम लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुंगेर में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका है।	मेरे द्वारा अपने प्रतिस्थानी तथा नवपदस्थापित पंचायत सचिव श्री प्रवीण कुमार को ग्राम पंचायत राज माणिकपुर एवं गाजीपुर का प्रभार दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा प्रभार सूची हस्ताक्षर कर नहीं लौटाकर कहा गया कि सभी समान को मिलान कर बाद में प्रभार सूची हस्ताक्षर कर आपको उपलब्ध करा देंगे। इस आलोक में श्री प्रवीण कुमार, पंचायत सचिव द्वारा दिनांक–30.12.2016 को किसी भी प्रकार का बकाया नहीं रहने का अनापत्ति दिया गया है, जो कि इस स्पष्टीकरण के साथ संलग्न है। अपने पदस्थापन काल में मुझसे मांगी गई सूचना मेरे द्वारा विधिवत दिया गया हैं। (छायाप्रति संलग्न) पंचायत सरकार भवन की सामग्री का प्रभार वर्तमान पंचायत सचिव को नहीं सौपने के कारण राज्य सूचना आयोग, बिहार पटना के वाद संख्या–A1483/2019, में मो0 नदीम अहमद के पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाना या नहीं करना मेरे प्रतिस्थानी नवपदस्थापित पंचायत सचिव जिम्मेवार है।	प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– उपस्थापन पदाधिकारी, तारापुर के पत्रांक– 1447/ दिनांक– 08.12.2020 द्वारा मंतव्य निम्नवत् दिया गया है :– आरोपी के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने प्रभार ग्राही पंचायत सचिव, श्री प्रवीण कुमार को ग्राम पंचायत राज माणिकपुर एवं गाजीपुर को प्रभार दिया गया था। प्रभार सूची को हस्ताक्षर कर आरोपी को नहीं लौटाया गया। आरोपी ने बताया की बई बार श्री प्रवीण कुमार से मिलकर प्रभार सूची पर हस्ताक्षर कर लौटाने की बात कही गई परन्तु उनके द्वारा बार–बार अनदेखी की गई है।	उपसमाहर्त्ता प्रभारी, जिला राजस्व शाखा, मुंगेर के पत्रांक 878/रा0, दिनांक 21.12.2020 के द्वारा अपर समाहर्त्ता –सह– विभागीय संचालन पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालीत कर प्राप्त कराये गये अभिलेख के अनुसार मंतव्य निम्नवत है :– ओरापी के स्थानातरण होने के पश्चात् आरोपी ने आपने प्रतिस्थानी श्री प्रवीण कुमार, पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत राज माणिकपुर एवं गाजीपुर का प्रभार सूची बनाकर प्रभार प्राप्त करने हेतु दिया गया था। आरोपी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी से अपने अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया तो उसपर श्री प्रवीण कुमार, पंचायत सचिव द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबोधित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत माणिकपुर एवं गाजीपुर का प्रभार प्राप्त किया। इनके यहाँ किसी भी प्रकार का बकाया नहीं है। परन्तु प्रभार सूची पर हस्ताक्षर कर आरोपी को नहीं लौटाया गया। आरोपी अपने प्रतिस्थानी श्री प्रवीण कुमार से प्रभार सूची पर बार–बार हस्ताक्षर कर लौटाने हेतु अनुरोध करने के बावजूद भी प्रतिस्थानी द्वारा प्रभार सूची पर हस्ताक्षर कर नहीं लौटाने की स्थिति में आरोपी द्वारा अपने उच्च पदाधिकारी को सूचित कर अपने प्रतिस्थानी से प्रभार सूची पर हस्ताक्षर करा कर प्राप्त करने के लिए अभिरूची नहीं

			लिया गया। यह कृत आरोपी के लापरवाही का दयोतक है। अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के द्वारा स्थलीय जाँच कर अपने पत्रांक–1383 / दिनांक–20.08. 2019 के द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सौंपे गये जाँच प्रतिवेदन की सूची में से क्रमांक–03,10,11 एवं 12 (यथा– अलमिरा–01, मेगा माईक–01 एवं प्रिंटर – 01) में अंकित उपस्कर पचायत भवन में नहीं पाया गया। उक्त सामग्री को आरोपी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक–929 / पं0, दिनांक–22 08.2019 के आलोक में पंचायत सचिव, श्री अनिल कुमार को दिनांक–22.08.2019 को प्रभार दे दिया गया है। आरोपी के द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिये गये स्पष्टीकरण में किये गये उल्लेख से स्पष्ट है। इस कार्यालय के पत्रांक–771 / रा0, दिनांक–02. 12.2020 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त सामग्री माणिकपुर पचायत भवन में यथास्थिति में है।
(3). उक्त से स्पष्ट है कि श्री रविन्द्र कुमार, लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत माणिकपुर ने नियम– सूचना के अधिकार 2005 का उल्लंघन किया। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(1) का उल्लंघन है।	मैने अपनी पूरी सेवा काल में एक जिम्मेवार सरकारी सेवक के रूप में सरकारी सेवा का निर्वाहन किया है। मेरे द्वारा कभी भी उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना नहीं किया गया है।	प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, तारापुर के पत्रांक – 1447 / दिनांक– 08. 12.2020 द्वारा मंतव्य निम्नवत् दिया गया है :– आरोपी द्वारा अपने पदस्थापन काल में सरकारी कार्यों को जिम्मेवारी से निर्वाहन किया गया है एवं आरोपी के स्पष्टीकरण के साथ संलग्न पत्र के आवलोकन से स्पष्ट है कि मो0 नदीम अहमद, पिता– मो0 वजीह अहमद, ग्राम+पोस्ट – लखनपुर, थाना – तारापुर, जिला – मुंगेर के द्वारा नियम सूचना के अधिकार, 2005 के तहत दिनांक–31.08.2016 को उपलब्ध करा दी गई है। वर्त्तमान पंचायत सचिव, श्री अनिल कुमार के द्वारा	उपसमाहर्त्ता प्रभारी, जिला राजस्व शाखा, मुंगेर के पत्रांक 878 / रा0,दिनाक 21 12.2020 के द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–विभागीय संचालन पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालीत कर प्राप्त कराये गये अभिलेख के अनुसार मंतव्य निम्नवत् है :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक–1236 / पं0 दिनांक–04 11.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी द्वारा ग्राम पंचायत राज माणिकपुर के पंचायत सरकार भवन के सामग्री का प्रभार वर्त्तमान पंचायत सचिव को ससमय नहीं सौंपा गया। प्रभार नहीं सौंपे जाने के कारण

		दिये गये प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि चतुर्थ वित्त आयोग से क्रय की गई सभी उपस्कर वर्त्तमान में पंचायत भवन में उपलब्ध है।	सूचना आयोग, बिहार पटना के वाद संख्या– A1483/2019, में मो0 नदीम अहमद प्रथम लोक सूचना पदाधिकारी –सह– जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर में पारित आदेश का पालन नहीं किया जा सका। जिसके लिए आरोपी दोषी है।

विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–229/पं0, दिनांक–31.01.2021 के द्वारा श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज माणिकपुर, प्रखंड कार्यालय तारापुर, मुंगेर एवं सेवानिवृत, पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय संग्रामपुर से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज माणिकपुर, प्रखंड कार्यालय तारापुर, मुंगेर एवं सेवानिवृत, पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय संग्रामपुर द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि चतुर्थ वित्त आयोग मद से वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में से मो0 6,00,000.00 (छः लाख) रू0 निकासी का पंचायत कार्यालय के कार्य हेतु विभिन्न सामग्री की खरीद की गई, फर्निचर आदि पंचायत भवन में रखा गया। सुरक्षा की दृष्टिकोण से कीमती सामानों को तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार मुखिया के घर पर रख कर सभी सामान वर्त्तमान मुखिया जी के प्रतिनिधि सह पुत्र बिराट चौधरी को रिसिभ करा दिया गया था, चूँकि उस समय पंचायत भवन का चहार दिवारी ऊँचा नही था। मेरे द्वारा जिम्मेवारी के साथ सभी कीमती उपस्कर की सुरक्षा को ध्यान में रखना गैर जिम्मेदाराना एवं स्वच्छाचारिता को नही दर्शाता है। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा संतोषजनक नहीं है।

आरोपित पंचायत सचिव, रविन्द्र कुमार, सेवानिवृत तत्कालीन पंचायत सचिव सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(i),(ii),(iii) के तहत पूर्णरूपेण दोषी है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, आरोपी कर्मी के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए **मैं रचना पाटिल, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता–सह–दण्डाधिकारी, मुंगेर** बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 139 (ख) के आलोक में रविन्द्र कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज माणिकपुर, प्रखंड कार्यालय तारापुर, मुंगेर एवं सेवानिवृत, पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय संग्रामपुर का **"भविष्य में किसी भी संविदागत नियोजन एंव प्रोन्नति अवरूद्ध रखने"** का दण्ड अधिरोपित करती हूँ , तद्नुरूप विभागीय कार्यवाही समाप्त करती हूँ ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर को आदेश दिया जाता है कि इस आशय की प्रविष्टि इनकी सेवापुस्त में दर्ज करते हुए इसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु भेजना सुनिश्चित करें।

ह0/=
जिला पदाधिकारी ,
मुंगेर।

ज्ञापांक 995 /पं0, दिनांक 29.04.2021

प्रतिलिपि– श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज माणिकपुर, प्रखंड कार्यालय तारापुर, मुंगेर एवं वर्त्तमान पदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय संग्रामपुर, मुंगेर से सेवानिवृत को सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रखंड विकास पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, मुंगेर /अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर / कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव मुंगेर जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29.4.21
जिला पदाधिकारी ,
मुंगेर।

E:\Order Ravinder Kumar, PS_01-04-21.doc